प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क आरटीए रास्ता स्वीकृति बाबत

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री मदन लाल पारीक
2. जरिये सरकार तहसीलदार पीलीबंगा

प्रार्थीगण
अप्रार्थी संख्या 12

अप्रार्थी संख्या 1 ता 11 के विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही जारी शुदा है।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

–:: निर्णय ::–

दिनांक :–20.01.2026

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क आरटीए रास्ता स्वीकृती बाबत प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि –यह कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण का पंजीकृत पता वहीं है जो उक्त प्रार्थना पत्र के शीर्षक में अंकित है

यह कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं.13 के नाम संयुक्त खाता की चक` युएमडब्ल्यू के प.नं. 20/212 (34) किला नं. 1/1 से 25/2 की 6.325 हैक. नहरी मय गैर मुमकिन खाला भूमि दर्ज राजस्व अभिलेख है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी सलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि अप्रार्थी सं.1 सुखविन्द्र सिंह के नाम चक 4 युएमडब्ल्यू के प.नं. 19/211 (76) किला नं. 19/3/.056, 20/3/.055, 21/3/.240, 22/2/.240 की 0.591 हैक. नहरी भूमि दर्ज राजस्व अभिलेख है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी सलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि अप्रार्थी सं. 2 ता 10 कुलदीप कुमार वगैरा के नाम चक 4 युएमडब्ल्यू के प.नं. 19/211 (76) किला नं. 19/2/.059, 20/2/.059, 21/1/.013, 22/1/.013 की 0.144 हैक. नहरी भूमि दर्ज राजस्व अभिलेख है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी सलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि अप्रार्थी सं. 11 दलजीत कौर के नाम चक 4 युएमडब्ल्यू के प.नं. 19/211 (76) किला नं. 3, 8, 13, 17, 18, 23, 24/1/.190 नहरी, 24/21.025 खाला की 1.733 हैक. नहरी मय खाला भूमि दर्ज राजस्व अभिलेख है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी सलग्न प्रार्थना पत्र है। यह कि चक 5 युएमडब्ल्यू के प.नं. 19/211 (22) किला नं. 25/1/.089 नहरी, 25/2/.025 हैक. रास्ता भूमि दर्ज राजस्व अभिलेख है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी चक 5 युएमडब्ल्यू सं. 2074 से 2077 बहक सुरेन्द्र कुमार सलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 से 5 में वर्णित चक 4 युएमडब्ल्यू के प.नं. 19/211 की भूमि पूर्व में चक 5 युएमडब्ल्यू थी। इस भूमि के किला नं. 21 से 25 में प्रत्येक में 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत था। इसलिये राजस्व अभिलेख इन किला नं. प्रत्येक में 0.018 बिस्वा नहरी भूमि थी । तत्समय सन 2018 में यह चक तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर में था। वर्तमान में यह चक 5 युएमडब्ल्यू से चक 4 युएमडब्ल्यू में तहसील पीलीबंगा में स्थित है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी (खैवट खतौनी) चक 5 युएमडब्ल्यू सलगंन प्रार्थना पत्र है।

यह कि प्रार्थीगण गांव उमेवाला से [illegible] युएमडब्ल्यू के प.नं. 20/212 किला नं. 1/1 ता 25/1 की 6.325 हैक. भूमि [illegible] चक 4 युएमडब्ल्यू के प. नं. 17/211 किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 ता 25 प.नं. 18 [illegible] के किला नं. 21 ता 25, प.नं. 17/211 के किला नं. 21 ता 25 में [illegible] से आना जाना कर [illegible] आज भी यह रास्ता लगातार चालू है। इस रास्ते के अलावा प्र[illegible]गण के पास अन्य को[illegible] नही है । प.नं. 19/211 किला नं. 24 व 25 में नहर (कस्सी) है। किला नं. 24 में नहर के उपर पुलिया है जो किला नं. 25 में स्थित रास्ता में जाने के लिये बनी हुई है। यह रास्ता प.नं. 19/211 किला नं. 21 ता 25 में 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत था जो दर्ज राजस्व अभिलेख

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.03.24 16:20:32 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

रहा है । चक 5 युएमडब्ल्यू की जमाबंदी में यह दर्ज है परन्तु चक परिर्वतन 4 युएमडब्ल्यू में आने के कारण राजस्व अभिलेख तैयार करते समय किला नं. 21 ता 24 में इस रास्ता का अकंन होने से रह गया जबकि किला नं. 25 में 0.025 हैक. रास्ता वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। प्रशनगत किला नं. 21 ता 24 के रास्ता की भूमि वर्तमान राजस्व अभिलेख में किला नं. 21/.012, 22/.012 हैक. अप्राथी सं. 1 सुखविन्द्र सिंह, 21/.013, 22/.013 हैक. भूमि अप्रार्थी सं. 2 ता 10 कुलदीप वगैरा के नाम दर्ज हो गई है तथा किला नं. 23/.025, 24/.025 हैक. भूमि अप्रार्थी सं. 11 दलजीत कौर के नाम दर्ज हो गई है जबकि यह भूमि रास्ता की भूमि है इसमें अप्रार्थीगण का कोई हक हिस्सा नही है । प्रार्थीगण को अपनी भूमि में आने जाने के लिये अन्य कोई रास्ता नहीं है। इस रास्ता की प्रार्थीगण को अत्यधिक आवश्यक्ता है जिसे स्वीकृत करवाकर राजस्व अभिलेख में अकॅन करवाने के हकदार है। नजरी नक्शा सलग्न है। यह कि प्रार्थीगण इस रास्ता की भूमि के बदले डीएलसी दर पर राशि अप्रार्थीगण को देने के लिये तैयार है।

यह कि अप्रार्थी सं. 12 जो कि भू धारक है जिनकी मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता स्वीकृत होना है इसलिये उसे आवश्यक पक्षकार बनाया है। यह कि प्रार्थना पत्र श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार एंव श्रवणाधिकार का है जो उचित कोर्ट फीस पर तहरीर एवं अन्दर मियाद है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण के नाम दर्ज कृषि भूमि में से चक 4 युएमडब्ल्यू के प.नं. 19/211 किला नं. 21 ता 24 प्रत्येक में 0.025 – 0.025 हैक. रास्ता बजानिब पश्चिम दिशा में उतर से दक्षिण लम्बा रास्ता को स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण तामिल होने पर भी हाजिर नहीं होने पर अप्रार्थीसंख्या 1 ता 11 के विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी गई है। अप्रार्थी संख्या 13 तरतीबी पक्षकार है एवं अप्रार्थी संख्या 12 तहसीलदार पीलीबंगा से पत्रांक 841 दिनांक 19.12.25 से तथ्यात्म्क रिपोर्ट प्राप्त की गई है रिपोर्ट तहसीलदार निम्नप्रकार से है–**प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता मौके पर चालू है। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते में आने वाली भूमि के समस्त काश्तकारो को पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थीगण द्वारा चाही गई भूमि रास्ते के अलावा अन्य स्वीकृतशुद्धा रास्ता मौके पर राजस्व रिकॉर्ड नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता कम दूरी का नही है। प्रार्थीगण के पास मौके पर अन्य वैकल्पिक नहीं है।**

आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.03.24 16:20:32 IST
Reason: SelfAttested

बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण सुनी गई बहस में अधिवक्ता [illegible] द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया गया। बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया तहसीलदार पीलीबंगा से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता चालू है एवं प्रार्थीगण द्वारा चाहे गए रास्ते के अलावा अन्य कोई कम दूरी का रास्ता नहीं है इस लिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्व काश्तकारी अधिनियम के तहत निम्नानुसार स्वीकृत किया जाता है–

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

तहसील पीलीबंगा के चक 4 युएमडब्ल्यू के प.नं. 19/211 किला नं. 21 ता 24 प्रत्येक में 0.025–0.025 हैक. रास्ता बजानिब दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम लम्बा रास्ता को स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाते है रास्ता की एवज में प्रार्थीगण डिएलसी की दूगना राशि खजाना राज में जमा करवायें। तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि डीलएलसी की दूगना राशि रास्ता के प्रतिकर के रूप में खजानाराज में जमा करवाया जाकर प्रश्नगत रकबा पर न्यायालय का कोई स्थगन वाद आदि न होनें, की दशा में आदेशों की पालाना में राजस्व रिकार्ड अमलदरामद करे।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो । आदेश को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में दिनांक 20/1/2026 सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
पीलीबंगा

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.03.24 16:20:32 IST
Reason: SelfAttested